कार्यालय, अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग,बेरीनाग

फोन नं0– 05964–244117 फैक्स नं0–05964–244622 ई–मेल–eepwdberinag@rediffmail.com

पत्रांक 1631 / 27सी   दिनांक 20 /09 /2023

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग पिथौरागढ़।

विषयः– जनपद पिथौरागढ के विधान सभा गंगोलीहाट के अन्तर्गत अग्रौन बैण्ड से आंवलाघाट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 8.057 हे0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ :– आपका पत्रांक 1135/12–1 दिनांक 01.09.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के अनुपालन में सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या उच्च स्तर से निर्धारित प्रारूप प्रश्नोत्तर रूप में समस्त संलग्नों सहित पुनः बिन्दुवार निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है।

क0 सं0	सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त (प्रश्न)	अनुपालन आख्या (उत्तर)
1	2	3
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 16.114 हे0 बोयल सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथा संशोधित) की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है। अतः इसे वन विभाग के पक्ष हस्तान्तरण नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	शर्त सं0 1– के अनुपालन में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं उनके 10 वर्षो तक रख–रखाव की धनराशि दिनांक 24.04.2020 द्वारा NEFT/ RTGS चालान के माध्यम से वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी है। चालान की हार्ड कापी 5–5 प्रतियों में प्रेषित की जा रही है। जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के आदेश सं0 1883/सात–22/2020–21 दिनांक 24.06.2021 ग्राम बोयल पट्टी बोयल तहसील गंगोलीहाट के कुल 07 खेतो की 16.114 हे0 सिविल भूमि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम हस्तान्तरण एवं नामान्तरण कर दी गयी है। आदेश की हार्डकापी 5–5 प्रतियों प्रेषित की जा रही है।
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र सं0 5–3/2007 एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की धनराशि जमा की जायेगी।	शर्त सं0 2 के अनुपालन में एन0पी0वी0 की धनराशि दिनांक 24.04.2020 को NEFT/ RTGS चालान के माध्यम से वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी है। चालान की हार्ड कापी 5–5 प्रतियों में प्रेषित की जा रही है।
3	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बचन बद्धता प्रस्तुत की जाय।	शर्त सं0 3– के अनुपालन में बढ़ी हुई दरों में भुगतान करने का वचन बद्धता प्रमाण पत्र की हार्ड कापी 5–5 प्रतियों में प्रेषित की जा रही है।

4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें, कि जमा की गयी सभी निधियाँ (CA Cost,NPV etc) को व्यवसायिक पर On line Generate किये गये चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑन लाइन बैंक में जमा किये जाए माध्यमो से जमा की गयी धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति के अनुपालना के रूप में मान्य नही होगी। उपरोक्त सभी शर्तो के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार स्पष्ट परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत विधिवत् स्वीकृति जारी की जायेगी। कृपया अपूर्ण परिपालना आख्या इस कार्यालय को प्रेषित न की जाय। राज्य सरकार द्वारा विधिवत् स्वीकृति तथा प्रयोक्ता अभिकरण को वनभूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही तब तक नही की जायेगी जब तक वन भूमि हस्तान्तरण की विधिवत् स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जारी नही की जायेगी। सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या प्रेषित करने के पश्चात विधिवत् स्वीकृति अन्य आवश्यक शर्तो सहित निम्नलिखि शर्तो के साथ प्रदान की जायेगी।	मान्य है।
1	वनभूमि की विधिवत् परिस्थिति बदली नही जायेगी।	मान्य है।
2	एन0पी0वी0 की दरों में अगर बढोत्तरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन0पी0वी0 देने के लिए बाध्य होगा। प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 16.114 हे0 बोयल सिविल एवं सोयम भूमि को 6 माह के अन्दर भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जायेगा तथा नोडल अधिकारी द्वारा अधिसूचना की प्रति क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।	मान्य है।
3	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नही लगाया जायेगा।	मान्य है।
4	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि का 4 फिट उचे आर0सी0सी0 पीलर लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forward एव Back bearing अंकित किया जायेगा।	मान्य है।
5	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टाफ के लिए रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी। जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुचें।	मान्य है।
6	परियोजन के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वन सम्पत्तियों एवं जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नही पहुचायी जायेगी।	मान्य है।
7	वनभूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नही किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में इस वनभूमि को किसी अन्य संस्था विभाग या व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना Transfer नही किया जायेगा।	मान्य है।
8	कम से कम वृक्षो का कटान/पातन किया जायेगा। जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 417 से अधिक ना हो। सड़क निर्माण के पश्चात जहाँ–जहाँ सम्भव हो सड़क के दोनो किनारों तथा Central verge पर प्रयोक्ता अभिकरण अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में Strif Plantation की जायेगी।	मान्य है।
9	परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलुवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलुवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जायेगा एवं निर्दिष्ट स्थानो के अलावा अन्यत्र मुलवा नही फेका जायेगा।	मान्य है।

10	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/ न्यायादेश/ अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होता है तो उनके अधीन जरूर अनुमति लेना राज्य सरकार/ प्रयोक्ता ऐंजेसी की जिम्मेदारी होगी।	मान्य है।
11	ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो की भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझा जायेगा। यदि विधिवत् स्वीकृति में दी गयी शर्तो का संतोषजन अनुपालन नही किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।	मान्य है।

कृपया विषयवर्णित प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति निर्गत करने हेतु अनुपालन आख्या शीघ्र उच्च स्तर को प्रेषित करने की कृपा करें।

संलग्न– उपरोक्तानुसार

भवदीय

20.9.23

अधिशासी अभियन्ता

अस्थाई खण्ड,लो0नि0वि0,बेरीनाग।

29/9/23

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी,पिथौरागढ़ वन प्रभाग,पिथौरागढ़ ।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com , Fax/☎ 05964-225234

पत्रांकः 1135 /12–1 दिनांक, पिथौरागढ़, 01 - 09 ~~अगस्त~~, 2023 ।

1620 / 13/09/2023

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0 बेरीनाग।

विषयः– जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र गंगोलीहाट अंतर्गत प्रस्तावित अग्रौन बैण्ड से आंवलाघाट मोटर मार्ग तथा सिमलता घोड़ासिला भिनगड़ी मोटर मार्ग के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– आपका पत्रांक 1372/27सी व 1371/सी दिनांक 07.08.2023।

उपरोक्त विषयक कम में अवगत कराना है कि उपरोक्त प्रकरणों (1.अग्रौन बैण्ड से आवलाघाट मोटर मार्ग तथा 2.सिमलता घोड़ासिला भिनगड़ी मोटर मार्ग) में आपके द्वारा प्रेषित की गयी आख्या निर्धारित प्रारुप में नहीं है। कृपया उक्त प्रकरणों की अनुपालन आख्या उच्च स्तर से निर्धारित प्रारुप प्रश्नोत्तर रुप में समस्त संलग्नको सहित 05 प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, तत्पश्चात ही प्रभाग स्तर से अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

स0अ0 तृतीय/अधीन

13/9/23

अ0अ0
13/9/2023

15/9/23
प्रेषित

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

रत सरकार
र्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन
त्रालय
त्रीय कार्यालय (उत्तर–केन्द्रीय क्षेत्र)
5 सुभाष रोड, देहरादून–248001
दूरभाषः 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल - moef.ddn@gov.in

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST &
CLIMATE CHANGE
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL
ZONE)
25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

दिनांकः 1: / 09 / 2019

पत्र सं0 08बी / यू0सी0पी0 / 06 / 40 / 2019 / एफ0सी0 / 12 ↑↑

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय : जनपद – पिथौरागढ़ के विधानसभा गंगोलीहाट के अंतर्गत अग्रौन बैण्ड से आंवलाघाट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 8.057 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या– 189/X-4-19/1(20)/2018 दिनांक 11.03.2019

महोदय,

उपरोक्त विषय पर Online Proposal No FP/UK/ROAD/37042/2018 एवं अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन व सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

इस विषय में मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण पर समय–समय प राज्य सरकार से आवश्यक जानकारियां / दस्तावेज मंगवाये जाते रहे है, जिनके प्राप्त होने के उपरान्त तथा प्रस्ताव Regional Empowered Committee (REC) की दिनांक 22, अगस्त 2019 को हुई बैठक में संस्तुति होने के उपरा केन्द्र सरकार **जनपद – पिथौरागढ़ के विधानसभा गंगोलीहाट के अंतर्गत अग्रौन बैण्ड से आंवलाघाट मो मार्ग के निर्माण हेतु 8.057 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो** हेतु **लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन** कि जाने की **सैद्धान्तिक स्वीकृति** निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान करती हैः–

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 16.114 है0 बोयल सिविल सायम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारो एवं उसके 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) र की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधि स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3 / 2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
3. शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्र अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी सभी निधियां (CA cost, NPV etc.) को वैब पर **Online Generate** किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाइन बैंक में जमा किए जाए, माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नहीं होगी।

उपरोक्त सभी शर्तो के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधि... 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी। कृपया अपूर्ण परिपालना आख्या इस कार्यालय को प्रेषित न जाये। राज्य सरकार द्वारा विधिवत् स्वीकृति तथा प्रयोक्ता अभिकरण को वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी जब तक वन भूमि हस्तान्तरण की विधिवत् स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जारी नहीं की ... सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या प्रेषित करने के पश्चात् **विधिवत् स्वीकृति अन्य आवश्यक शर्तों** सहित **निम्नलिखित शर्तो के साथ प्रदान की जायेगीः–**

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नही जाएगी।
2. एन.पी.वी. की दरो में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा। प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 16.114 है0 बोयल सिविल एवं सोयम भूमि को छः माह के अन्दर भारतीय ... अधिनियम, 1927 के अर्न्तगत आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जायेगा तथा नोडल अधिकारी द्वारा अधिसूचना की प्रति क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जाएगी।

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प लगाया जायेगा।

4. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का चार फीट ऊँचे आर0सी0सी0 पिलर लगाकर सीमांकन ... जिन पर Forward एवं Back bearing अंकित किया जायेगा।
5. प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिये रसोई गैस/... तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनो को क्षति न पहुँचे।
6. परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार क्षति नहीं पहुचायी जायेगी।
7. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नही किया जाये... किसी भी परिस्थिति में इस वन भूमि को किसी अन्य संस्था, विभाग या व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार की पूर्व ... के बिना Transfer नहीं किया जाएगा।
8. कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 417 से अधिक न हो। सड़क निर्माण के पश्चात् जहां–जहां सभंव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में strip plantation की जाएगी।
9. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के ... प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।
10. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू ... तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
11. ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक ... यदि विधिवत् स्वीकृति में दी गई शर्तो का संतोषजनक अनुपालन नहीं किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्र... निरस्त किया जा सकता है।

(सन्नी ग...
तकनीकी अधिकारी (...

लेपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

अपर वन महानिदेशक (एफ0सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, ... रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड

आदेश पत्रावली।

(सन्नी गोय...
तकनीकी अधिकारी (वानि...

ारकार
ग, वन एवं जलवायु परिवर्तन

कार्यालय (उत्तर–केन्द्रीय क्षेत्र)
ार्ष रोड, देहरादून–248001
: 0135–2650809
-0135–2653010
- moef.ddn@gov.in

CLIMATE CHANGE
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL ZONE)
25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

दिनांकः 13 /09/2019

08बी/यू0सी0पी0/06/40/2019/एफ0सी0/1244

अपर मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड़, देहरादून।

:जनपद – पिथौरागढ़ के विधानसभा गंगोलीहाट के अंतर्गत अग्रौन बैण्ड से आंवलाघाट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 8.057 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

: अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या– 189/x-4-19/1(20)/2018 दिनांक 11.03.2019

य,

उपरोक्त विषय पर Online Proposal No FP/UK/ROAD/37042/2018 एवं अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन व सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

इस विषय में मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण पर समय–समय प राज्य सरकार से आवश्यक जानकारियां/दस्तावेज मंगवाये जाते रहे है, जिनके प्राप्त होने के उपरान्त तथा प्रस्ताव Regional Empowered Committee (REC) की दिनांक 22, अगस्त 2019 को हुई बैठक में संस्तुति होने के उपरा केन्द्र सरकार **जनपद – पिथौरागढ़ के विधानसभा गंगोलीहाट के अंतर्गत अग्रौन बैण्ड से आंवलाघाट मो मार्ग के निर्माण हेतु 8.057 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन** वि जाने की **सैद्धान्तिक स्वीकृति** निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान करती है:–

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 16.114 है0 बोयल सिविल सायम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारो एवं उसके 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) र की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधि स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
3. शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्र अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी सभी निधियां (CA cost, NPV etc.) को वैब पर **Online Generate किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाइन बैंक में जमा किए जाए,** माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नहीं होगी।

: उपरोक्त सभी शर्तो के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधि... 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी। कृपया अपूर्ण परिपालना आख्या इस कार्यालय को प्रेषित न ... जाये। राज्य सरकार द्वारा विधिवत् स्वीकृति तथा प्रयोक्ता अभिकरण को वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही तब ... नहीं की जायेगी जब तक वन भूमि हस्तान्तरण की विधिवत् स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जारी नहीं की ... सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या प्रेषित करने के पश्चात् **विधिवत् स्वीकृति अन्य आवश्यक शर्तों** सहि... **निम्नलिखित शर्तो के साथ प्रदान की जायेगी:–**

वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नही जाएगी।
एन.पी.वी. की दरो में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।
प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 16.114 है0 बोयल सिविल एवं सोयम भूमि को छः माह के अन्दर भारतीय ... अधिनियम, 1927 के अर्न्तगत आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जायेगा तथा नोडल अधिकारी द्वारा अधिसूचना की प्रति क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जाएगी।

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प ... लगाया जायेगा।
प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का चार फीट ऊँचे आर0सी0सी0 पिलर लगाकर सीमांकन ... जिन पर Forward एवं Back bearing अंकित किया जायेगा।
प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिये रसोई गैस/... तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनो को क्षति न पहुँचे।
परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं को किसी प्रक... क्षति नहीं पहुचायी जायेगी।
वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नही किया जाय...
किसी भी परिस्थिति में इस वन भूमि को किसी अन्य संस्था, विभाग या व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार की पूर्व ... के बिना Transfer नहीं किया जाएगा।
कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 417 से अधिक न हो।
सड़क निर्माण के पश्चात् जहां–जहां सभंव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकर... अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में strip plantation की जाएगी।
परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के ... प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।
यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू ... तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक ...
यदि विधिवत् स्वीकृति में दी गई शर्तो का संतोषजनक अनुपालन नहीं किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्र... निरस्त किया जा सकता है।

(सन्नी ...
तकनीकी अधिकारी ...

लिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

अपर वन महानिदेशक (एफ0सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, ... रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड
आदेश पत्रावली।

(सन्नी गो...
तकनीकी अधिकारी (वा...

शर्त 06।

आदेश

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून के पत्र संख्या–8बी/यू.सी.पी./06/40/2019/एफ.सी./1277 दिनांक 13.09.2019 के द्वारा जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र गंगोलीहाट के अन्तर्गत अग्रौन बैण्ड से आंवलाघाट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 8.057 है0 वन भूमि के बदले 16.114 है0 सिविल भूमि वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण की शर्त पर वन भूमि हस्तान्तरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है।

राजस्व अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2173/XVIII(II)/2012–18 (120)/2010 दिनांक 17.12.2012 में निहित प्राविधानों के अनुसार जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र गंगोलीहाट के अन्तर्गत अग्रौन बैण्ड से आंवलाघाट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 8.057 है0 वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम बोयल पट्टी बोयल तहसील गंगोलीहाट के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता संख्या–24 श्रेणी–9(3)ड़ बंजर काबिल आवाद के खेत नम्बर 1144 रकवा 3.019, 1145 रकवा 1.492 है0, 1149 रकवा 1.510 है0, 1196 रकवा 1.497, 1215 रकवा 3.518 है0, 1218 रकवा 0.988 है0 तथा खेत नम्बर 1268 मध्ये रकवा 4.090 है0 कुल 07 खेतों की 16.114 है0 सिविल भूमि वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

तहसीलदार, गंगोलीहाट स्वीकृत भूमि का हस्तान्तरण/नामान्तरण वन विभाग के नाम करना सुनिश्चित करें।

दिनांक जून 23, 2021

(आनन्द स्वरूप)
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

कार्यालय जिलाधिकारी पिथौरागढ़।

संख्या– 1883/सात– 22 /2020–21 दिनांक जून 24, 2021 प्रमाणित

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़।
2. प्रभारी अधिकारी वन, जिला कार्यालय पिथौरागढ़।
3. उप जिलाधिकारी गंगोलीहाट।
4. तहसीलदार गंगोलीहाट को प्रश्नगत भूमि के खसरे की प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नियमानुसार स्वीकृत भूमि का वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण सुनिश्चित करें।
5. अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0 बेरीनाग को सूचनार्थ प्रेषित।

सहायक अभियन्ता
अ0 ख0 लो0 नि0 वि0
बेरीनाग (पिथौरागढ)

(आनन्द स्वरूप)
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

Copy to AG II / SS Tiwari Amin

प्रमाणित
29.09.21

Seen file
13-07

क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण स्थल का खसरा।

परियोजना का नाम- जनपद पिथौरागढ़ के विकासखण्ड गंगोलीहाट मे अगौन बैण्ड से औंवलाघाट मोटर मार्ग लम्बाई- १७.०० किमी० क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण हेतु चयनित सिविल भूमि 16.114 है० ग्राम बोयल, पट्टी- बोयल, तहसील गंगोलीहाट, जिला- पिथौरागढ़,

खाता संख्या	नाम भूमिधर एवं भूमि की श्रेणी	प्रभावित खसरा नम्बर	कुल क्षेत्रफल ना०मु० में	प्रभावित क्षेत्रफल ना०मु० में	प्रभावित क्षेत्रफल हेक्टेयर में
२४	उत्तराखण्ड सरकार श्रेणी ६ (२) ड. बंजर काबिल आबाद ॐ	११४४	१५०११	१५०११	3.010
		११४५	७४१=	७४१-	1.486
		११४६	७५१=	७५१-	1.506
		११६६	७४११=	७४११=	1.493
		१२१५	१७५१=	१७५१=	3.508
		१२१८	४६	४६	0.980
		१२६८क	२५२११=	२०६११-	4.131
	योग	७	—	८०५११≡	16.114 है०

(क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि- 16.114 है० वोयल सिविल)

सी० रविशंकर
दि० ७/९/१७
जिलाधिकारी
पिथौरागढ़

डी० एस० बिष्ट
राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र- चौपाता
दि० १२/५/१७

(गंगासिंह नेगी)
वन दरोगा
दि० २५/५/१७

वैभव गुप्ता

तहसीलदार
२५/६/१७

उप जिलाधिकारी
दि० २५/६/१७

विनयकुमार
दि० ७/९/१७
प्रभागीय वनाधिकारी

प्रमाणित
०९.०९.२१
जी० के० सिन्हा
अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०
बेरीनाग (पिथौरागढ़)

प्रमाणित
सहायक अभियन्ता

pp 42

शर्त सं0— 03

बढ़ी हुई दरों में भुगतान करने का वचन वद्धता प्रमाण पत्र

परियोजना का नामः— जनपद पिथौरागढ़ में अग्रौन बैण्ड से आंवलाघाट मोटर मार्ग निर्माण हेतु 8.057 हे0वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लो0नि0वि0,को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि शर्त सं0—03 के अनुपालन में शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में यदि बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी, इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत है।

09.09.21

(इं0बी0के0सिन्हा)
अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0,बेरीनाग।

प्रमाणित

सहायक अभियन्ता
अ0-ख0 लो0 नि0 वि0
बेरीनाग (पिथौरागढ़)

NEFT RTGS CHALLAN

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 24-04-2020

Agency Name.	**EE TY DIV PWD BERINAG**
Application No.	**6137042312**
MoEF/SG File No.	**8B/UCP/06/40/2019/FC**
Location.	**UTTARANCHAL**
Address.	**PWD BerinagPithoragarh**
Amount(In Rs)	**10232889.53/-**

Amount in Words : One Crore Two Lakh Thirty-Two Thousand Eight Hundred and Ninety Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	**UTTARANCHAL CAMPA**
IFSC Code:	**CORP0000371**
Pay to Account No.	**150896137042312** Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	**Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003**

- **This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only**
  This challan is valid only for seven days.

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 24-04-2020

Agency Name.	**EE TY DIV PWD BERINAG**
Application No.	**6137042312**
MoEF/SG File No.	**8B/UCP/06/40/2019/FC**
Location.	**UTTARANCHAL**
Address:	**PWD Berinag Pithoragarh**
Amount(In Rs)	**10232889.53/-**

Amount in Words : One Crore Two Lakh Thirty-Two Thousand Eight Hundred and Ninety Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	**UTTARANCHAL CAMPA**
IFSC Code:	**CORP0000371**
Pay to Account No.	**150896137042312** Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	**Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003**

- **This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only**
  This challan is valid only for seven days

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Certified that the Cheque/RTGS is being remitted for the govt's purpose.

24.04.20

Mob No - 9410551218

24.04.20

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
बेरीनाग (पिथौरागढ़)

प्रमाणित

सहायक अभियन्ता
अ० ख० लो० नि० वि०
बेरीनाग (पिथौरागढ़)

प्रमाणित

09.09.21

डी० के० सिंह
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
बेरीनाग (पिथौरागढ़)

24 APR 2020

SBINR52020042700010271

27 APR 2020

Dheera, Rawat

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी,पिथौरागढ़ वन प्रभाग,पिथौरागढ़।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com Fax & ☎ 05964- 225234

पत्रॉक / दिनांक, पिथौरागढ़, 04 ~~जून~~ जुलाई, 2020।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,देहरादून।

विषयः— जनपद पिथौरागढ़ में अग्रौन बैण्ड से आंवलाघाट मोटर मार्ग निर्माण हेतु 8.057 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में सरकार से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों में सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या।

संदर्भः— भारत सरकार का पत्रांक 8बी0/यू0सी0पी0/06/40/2019/एफ0सी0/1277 दिनांक 13.09.2019 व प्रस्तावक विभाग का पत्रांक 578/27सी0 दिनांक 19.06.2020।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की बिन्दुवार अनुपालान आख्या संलग्न कर प्रेषित की जा रही है व प्रस्तावक विभाग द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित धनराशि का भुगतान कर दिया गया है।

संलग्नः— यथोपरि।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग,पिथौरागढ़।

संख्याः— 88 / 12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपिः— अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, बेरीनाग, पिथौरागढ़ को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रमाणित

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग,पिथौरागढ़।

सहायक अभियन्ता
अ0 ख0 लो0 नि0 वि0
बेरीनाग (पिथौरागढ़)

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 24-04-2020

Agency Name.	EE TY DIV PWD BERINAG
Application No.	6137042312
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/40/2019/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	PWD BerinagPithoragarh
Amount(in Rs)	10232889.53/-

Amount In Words :One Crore Two Lakh Thirty-Two Thousand Eight Hundred and Ninety Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150896137042312 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
  This challan is valid only for seven days

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 24-04-2020

Agency Name.	EE TY DIV PWD BERINAG
Application No.	6137042312
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/40/2019/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	PWD Berinag Pithoragarh
Amount(in Rs)	10232889.53/-

Amount In Words :One Crore Two Lakh Thirty-Two Thousand Eight Hundred and Ninety Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150896137042312 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
  This challan is valid only for seven days

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Certified that the cheque/RTGS is being remitted for the govt's purpose.

प्रमाणित

24.04.20
Mob No - 9410551218

24.04.20
सहायक अभियन्ता
अस्थायी खण्ड, लोक निर्माण विभाग
बेरीनाग (पिथौरागढ़)

प्रमाणित

09.09.21

(वी०के०सिंह)
अधिशासी अभियन्ता
अस्थायी खण्ड, लो०नि०वि०
बेरीनाग (पिथौरागढ़)

24 APR 2020

SBINR52020042700101271

27 APR 2020